संख्या-28 /2018/ 2111 /46-3-18-3(34)/2018

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उ.प्र., लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 06 दिसम्बर, 2018**

विषय- ''चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना'' के अन्तर्गत, पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य का त्वरित व पूर्ण भुगतान कराये जाने के उद्देश्य से, प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंको, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, उ.प्र. सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से, राज्य सरकार द्वारा निजी चीनी मिलों को साफ्ट लोन दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुदान संख्या-24 (पूँजी लेखा) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **चतुर्थ किश्त** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-12/2018/1698/46-3-18-3(36-ए)/ 2018, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 के अनुक्रम में, इस हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष **प्रथम किश्त** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये विषयक शासनादेश संख्या-16/2018/1876/46-3-18-3(34)/2018, दिनांक 31 अक्टूबर, 2018, **द्वितीय किश्त** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये विषयक शासनादेश संख्या-19/2018 /2002/46-3-18-3(34)/2018, दिनांक 26 नवम्बर, 2018 एवं **तृतीय** किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये विषयक शासनादेश संख्या-23/2018 /2041/46-3-18-3(34)/2018, दिनांक 29 नवम्बर, 2018 का तथा **चतुर्थ** किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रेषण विषयक अपने पत्र संख्या-4578/2018, दिनांक 29 नवम्बर, 2018 एवं पत्र संख्या-1635/ लेखा-बजट (चीनी)/2018-19, दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य का त्वरित व पूर्ण भुगतान कराये जाने के उद्देश्य से, प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, उ.प्र. सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से, प्रदेश के निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को राज्य सरकार द्वारा साफ्ट लोन दिये जाने के संबंध में **''चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना''** लागू किये जाने के संबंध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय एवं तद्हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुदान संख्या-24 (पूँजी लेखा) में **प्राविधानित धनराशि अंकन रु.40,00,00 लाख (रुपया चार हजार करोड़ मात्र) में से क्रमश: उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31.10.2018 , दिनांक 26.11.2018 एवं दिनांक 29.11.2018 द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रुप में अवमुक्त धनराशि अंकन रु.30,00,00 लाख (रुपया तीन हजार करोड़ मात्र) के पश्चात, वर्तमान में अवशेष धनराशि रु.10,00,00 लाख (रुपया एक हजार करोड़ मात्र) के सापेक्ष चतुर्थ**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

किश्त के रूप में धनराशि अंकन रु.5,00,00 लाख (रुपया पॉच सौ करोड़ मात्र) को, निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन तथा योजना के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-12/2018/ 1698/46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 28 सितम्बर, 2018, शासनादेश संख्या-14/ 2018/1764/46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 13 अक्टूबर, 2018 एवं अधिसूचना संख्या-15/2018/1719/46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 तथा शासनादेश संख्या-18/2018/ 1998/46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 20 नवम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या-23 /2018/ 2080 /46-3-18-3(36-ए)/2018-टी.सी., दिनांक 29 नवम्बर, 2018 तथा शासनादेश संख्या-26 /2018/ 2087 /46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार, व्यय/उपयोग किये जाने की अनुमति सहित, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उपर्युक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी जा रही है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 व दिनांक 26 नवम्बर, 2018 तथा दिनांक 29 नवम्बर, 2018 द्वारा अवमुक्त की गयी एवं इस शासनादेश द्वारा दी जा रही वित्तीय स्वीकृति (कुल अवमुक्त धनराशि अंकन रू.3,500 करोड़) की धनराशि का योजना के उद्देश्यों हेतु उपयोग कर लिये जाने के सम्बन्ध में, आपके स्तर से, उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस योजना का कियान्वयन, प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, उ.प्र. सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र की चीनी मिलों से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर परीक्षणोपरान्त, स्वीकृति हेतु पात्र आवेदन-पत्रों के सापेक्ष देय ऋण की धनराशि, संबंधित बैंकों को उनके स्तर से प्राप्त होने वाले मांग-पत्र के अनुसार गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. के द्वारा आहरित करके उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण पर 5 प्रतिशत् वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज देय होगा, जिसका आगणन ऋण वितरण की तिथि से किया जायेगा तथा ऋण की वापसी मासिक किश्तों में अधिकतम 05 वर्ष की अवधि में की जायेगी, जिसकी प्रथम मासिक किश्त माह जुलाई, 2019 से प्रारम्भ होगी। समय से मासिक किश्तों में चीनी मिल द्वारा ऋण वापस न करने अथवा किसी किश्त के चूक/डिफाल्ट होने की स्थिति में, डिफाल्ट किश्त पर 12 प्रतिशत् वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा।

(4) इस ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण लेने वाली निजी क्षेत्र की चीनी मिलें अपना आवेदन-पत्र बैंक के स्तर पर प्रस्तुत करेंगी। सम्बन्धित बैंक, स्वीकृत ऋण की धनराशि चीनी मिल के एस्क्रो एकाउंट में हस्तान्तरित करेगी तथा यह धनराशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सीधे गन्ना किसानों के बैंक खाते में उनके बकाया गन्ना मूल्य के सापेक्ष भुगतान की जाएगी ताकि उक्त उद्देश्य हेतु धनराशि की उपयोगिता की निगरानी सरलता से की जा सके।

(5) इस ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण के लिए आवेदन करने वाली चीनी मिलों को, स्वीकृत ऋण का उपयोग करते हुए पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य का शत्-प्रतिशत् भुगतान हेतु वर्तमान में निर्धारित कट-ऑफ-डेट दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 तक सुनिश्चित करना होगा एवं यदि कट-आफ-डेट में कोई संशोधन शासन द्वारा भविष्य में किया जाता है, तो उक्त स्थिति में कट-आफ-डेट तद्नुसार लागू होगी। इसके साथ ही योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उपरिलिखित शासनादेशों/अधिसूचना में उल्लिखित अन्य विशिष्टियों/निर्देशों एवं समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों/ निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) ऋणी चीनी मिलों द्वारा निर्धारित मासिक किश्तों में वापस की गई धनराशि, सम्बन्धित बैंक द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा की जाएगी तथा सम्बन्धित चीनी मिल से वसूल की गई धनराशि को राजकोष में जमा कर दिये जाने की सूचना एवं सुसंगत अभिलेख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

/ट्रेजरी चालान आदि गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक, उपलब्ध कराई जाएगी। मिलों द्वारा बैंको को अदा की गयी मूलधन एवं ब्याज की किश्तों की धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. का होगा।

(7) योजनान्तर्गत साफ्ट लोन दिये जाने हेतु गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. के निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग कर लिये जाने के संबंध में, संबंधित चीनी मिलें, संबंधित उप गन्ना आयुक्त से विधिवत् सत्यापित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि ऋण की राशि का उपयोग योजना में विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु कर लिया गया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. के कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2018 होगी एवं तत्पश्चात वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. के स्तर से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (प्रतिहस्ताक्षरित कर), शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय किये जाने के संबंध में, उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों/अधिसूचना में दिये गये निर्देशों व निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए एवं योजनान्तर्गत निर्धारित त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र (Tripartite Agreement) का निष्पादन चीनी मिल/संबंधित बैंक/संबंधित परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त के साथ करा लिये जाने एवं क्षतिपूर्ति अनुबन्ध पत्र (Indemnity Bond) चीनी मिल ले लिये जाने के उपरान्त, बैंकों के माध्यम से, साफ्ट लोन के रुप में चीनी मिलों को ऋण स्वीकृत किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया जा रहा है, उसी के लिए किया जायेगा तथा इसका किसी भी दशा में किसी अन्य प्रयोजन में व्यय नहीं किया जायेगा। ऐसा व्यय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य किसी सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति नियमानुसार आवश्यक हो, तो इसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा। वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशियों को पी.एल.ए./डिपाजिट खातों में जमा न किया जाये।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय सहायता मद में ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में उपर्युक्त शर्तो के अतिरिक्त वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018, कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018, दिनांक 24 अप्रैल, 2018 तथा शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018- 244/2018, दिनांक 01 सितम्बर, 2018 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन एवं वित्त विभाग तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद को नियमित रुप से उपलब्ध कराने तथा लेखों का नियमित मिलान, महालेखाकार, उ.प्र., इलाहाबाद से अवश्य कराया जायेगा। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. का होगा।

(12) उक्त स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त आहरण की अनुमति न दी जाय। गन्ना आयुक्त, अनुदान/भारित विनियोगों के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय फेजिंग, विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार करेंगे।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय, ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(14) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा मितव्ययियता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों तथा वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी.ए.-934/दस-2008-मित.-1/2007, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रुप से पालन किया जाये, ताकि अपव्यय को रोका जा सके।

2- उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि, वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-24 (पूँजी लेखा) में लेखा शीर्ष "6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03-निजी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिलों को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ऋण-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा. **संख्या-ई-6-976 /दस-2018, दिनांक 06 दिसम्बर, 2018** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

राकेश कुमार मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या- 28 / 2018/ 2111 (1)/46-3-18-3(34)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
3- महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ.प्र., लखनऊ।
4- क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, गोमती नगर, लखनऊ।
5- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6- मुख्य आंचलिक प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, (लीड बैंक), गोमती नगर, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी बैंक लि., लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- समस्त परिक्षेत्रीय-उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
11- समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ.प्र. शासन।
13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
14- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2
15- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

सुशील कुमार शुक्ल
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।